ISSN 0973-8541, HUMANITIES AND DEVELOPMENT, VOL.20, No.1, Jan. – Mar., 2025/37

''उच्च शिक्षित अल्पसंख्यक महिलाओं के प्रति हिंसा की प्रकृति एवं स्वरूप''

गजेन्द्र बहादुर सिंह एवं दिलीप कुमार सिंह

https://doi.org/ 10.61410/ had.v20i1.227

शोध सारांश

दुनिया के समाजों में महिलाओं के प्रति पुरुषों की सोंच में बड़ा परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता है, महिलाओं की प्रस्थिति समाज में हमेशा कमजोर रही हैं, जब–जब महिलाऐं इस लक्ष्मण रेखा को लाँघने का प्रयास करती हैं तो उन्हें पुरुष समाज अपने प्रयास से कमजोर बना देता है, वैसे भी भारतीय परिवारों में पति–पत्नी के सम्बन्धों में परम्परागत दृष्टिकोण अभी भी इतना शक्तिशाली है कि हम उसमें विशेष परिवर्तन की बात सोंच भी नहीं सकते हैं। हमारा परिवार आज भी मूलतः पति–प्रभुत्व परिवार है, पति की प्रस्थिति पत्नी से श्रेष्ठ रही है। श्रेष्ठता के आधार पर आज परिवर्तन अवश्य आया है।[1] स्त्री और पुरुष अलग–अलग क्षेत्रों में इस श्रेष्ठता को सिद्ध करने का प्रयास भी कर रहे हैं इसीलिए महिलाओं के प्रति हिंसा की प्रवृत्ति परिवार और समाज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

शब्द संकेत– हिंसा, दुर्व्यवहार, वैचारिक मतभेद, मनोविकृत, अपराध, यौन–हिंसा, दहेज–दानव, शोषण

शोध–पत्र

भारतीय समाज पितृसत्तात्मक होने के कारण अभी तक प्रत्येक समाज की महिलाओ ंको कमजोर और हीन दृष्टि से देखा जाता रहा है। महिलाओं की शारीरिक संरचना पुरुषों से भिन्न होने के कारण यह स्वीकार कर लिया गया है कि महिलाओं की मानसिक और बौद्धिक स्थिति कहीं न कहीं पुरुषों से कमजोर होती है। यही कारण रहा है कि पुरुष तथा महिलाओं के बीच एक महीन धागे के बराबर अहंकार की मनःस्थिति हमेशा बनी रही है।[2] समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा का आशय मात्र शारीरिक हिंसा से नहीं माना जा सकता है। हिंसा का स्वरूप बहुत व्यापक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यौनगत हिंसा, भावनात्मक हिंसा, मनावैज्ञानिक और आर्थिक दुर्व्यवहार को भी हिंसा के स्वरूप में सम्मिलित किया जा सकता है। किन्तु राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को मात्र दो प्रकार से लक्षित किया जाता है जिसमें घरेलू हिंसा एवं यौन हिंसा जिसे समाज में व्याप्त हिंसा के रूप में देखा जा सकता है। डब्लू एच ओ ने परिभाषित करते हुए लिखा है कि ''स्वयं के विरूद्ध, किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध, या किसी समूह या समुदाय के विरूद्ध जानबूझकर शारीरिक बल या शकित का प्रयोग चाहे वह धमकी के साथ हो या वास्तविक, जिसके परिाम स्वरूप चोट, मृत्यु, मनोवैज्ञानिक क्षति या अभाव उत्पन्न होता है या होने की सम्भावना होती हैं।

घरेलू हिंसा के प्रति समाज में लगातार वृद्धि देखी जा सकती है। यह विषय चिंतनीय है, लेकिन इसके पीछे यह भी कारण स्पष्ट होता है कि कल तक जहाँ महिलाऐं इस प्रकार की धटनाओं को सहन कर लेती थी, किन्तु वह आज खुलकर समाज के समक्ष अपनी समस्या को रख रही है बल्कि इस प्रकार की घटनाओं का खुलकर विरोध भी कर रही हैं। इससे यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि आज के आधुनिक परिवेश में महिलाओं में जागरूकता बढ़ी है। घरेलू हिंसा के विषय में कहा जा सकता है कि जब घर के एक सदस्य द्वारा अन्य दूसरे सदस्य के साथ कोई ऐसा व्यवहार किया जाय जिससे पीड़ित सदस्य के शरीर, किसी अंग, स्वास्थ्य या जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाय। इसके अतिरिक्त किसी को मानसिक, आर्थिक या लैंगिक रूप से प्रताड़ित करना भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है।[3] आज के भौतिकवादी परिवेश में महिलाओं के साथ बच्चो और अभिभावकों के बीच अन्तः

- **शोध छात्र – समाजशास्त्र, पं0रामलखन शुक्ल राजकीय पी0जी0 कालेज आलापुर, अम्बेडकरनगर।**
- **शोध निदेशक – समाजशास्त्र विभाग, पं0 रामलखन शुक्ल राजकीय पी0जी0 कालेज आलापुर, अम्बेडकरनगर।**

पीढ़ी गतिशीलता के कारण वैचारिक मतभेद भी बढ रहा है। पति–पत्नी के बीच बढ़ रहा विवाद हत्या तक पहुंच गया है जो हिंसा की पृष्ठ भूमि परिलक्षित करता है।[4]

महिला सशक्तिकरण का प्रयास जहां पूरी दुनिया में हो रही है, किन्तु भारत में जहाँ स्त्रियों की पूजा का विधान किया गया था, उन्हें ईश्वर की बनायी ऐसी सौहार्द्रपूर्ण सौन्दर्य पूर्ण अभिव्यक्ति को अपनी धरोहर मानकर पुरुष समाज में कुछ मनोविकृत लोग अपनी ताकत से उन पर अधिकार रखना चाहते हैं। उनका शोषण करते है, विरोध करने पर हिंसा के चलते बोझ समझा गया वहीं उन्हें गर्म में ही हत्या का प्रयास किया गया। महिलाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शोषण का समाना करना पड़ा है।[5] महिलाओं के साथ हमेशा से दुनिया के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष समाज द्वारा शोषण किया जाता रहा है। यह एक ऐसी समस्या रही है जो किसी भी देश के शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक या बौद्धिक रूप से विकसित होने के पश्चात् भी पायी जाती है।[6]

शोध प्रारूप – प्रस्तुत शोध अध्ययन अयोध्या जनपद के अहरन सुवंश न्याय पंचायत के कुल 300 उत्तरदात्रियों का चयन दैव निदर्शन विधि से किया गया है। इस अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोतों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक स्रोतों के अन्तर्गत साक्षात्कार अनुसूची एवं द्वितीयक स्रोतों में सरकारी, गैर–सरकारी स्रोतों का प्रयोग किया गया है।

शोध परिकल्पना –

1. प्रारम्भिक स्थिति में घटना की शिकार अल्पसंख्यक महिलाऐं अपनी समस्या किसी से बताना उचित नही मानती है।
2. अल्पसंख्यक महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा एवं अपराधों के घटित होने पर पुलिस प्रायः उदासीन होती है।
3. कानून अल्पसंख्यक महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक प्रस्थिति देखकर भूमिका तय करता है।
4. अल्पसंख्यक महिलाओं की जिन समस्याओं को जनसंगठन या मीडिया बार–बार प्रसारित करते हैं, उस घटना में कानून तुलनात्मक रूप से अधिक सक्रिय होता है।
5. घटना की शिकार अधिकांश अल्पसंख्यक महिलाऐं देश के कानून के प्रति संशय व्यक्त करती हैं।
6. भ्रष्टाचार में लिप्तता तथा राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस को कर्तव्य निवर्हन में बाधा उत्पन्न होती है।

शोध उद्देश्य –

1. भारतीय समाज में अल्पसंख्यक महिलाओं की प्रस्थिति का ऐतिहासिक विश्लेषण करना।
2. उ0प्र0 की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक व्यवस्था का अध्ययन करना।
3. अल्पसंख्यक महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा का वर्णन करना।
4. अल्पसंख्यक महिलाओं के प्रति होने वाली घटनाओं के संदर्भ में विश्लेषण करना।
5. अल्पसंख्यक महिलाओं की मनोवृत्ति का अध्ययन करना।
6. कर्तव्य निवर्हन में बाधा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का अध्ययन करना।
7. उच्च शिक्षा में ग्रामीण क्षेत्र की अल्पसंख्यक बालिकाओं की सामाजिक स्थिति, आर्थिक, स्थिति एवं राजनैतिक स्थिति का ज्ञात करना।

8. कम्प्यूटर, इण्टरनेट की सुविधाओं की स्थिति ज्ञात करना।

9. उच्च स्तर पर ऑनलाइन शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं और चुनौतियों को ज्ञात करना।

उपयुक्त सन्दर्भों के साथ उच्चशिक्षित अल्पसंख्यक महिलाओं के प्रति हिंसा की प्रकृति एवं स्वरूप का प्रभाव कैसा पड़ रहा है। अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदात्रियों से यह जानने का प्रयास किया गया है कि भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा का कारण दहेज है ? निम्न सारणी में प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास किया गया है –

सारणी सं0–01

क्रम सं0	दहेज के प्रति विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1-	हाँ	185	61.67
2-	नहीं	85	28.33
3-	कह नहीं सकते	30	10.00
	योग	**300**	**100.00**

सारणी सं0–01 के अध्ययन में सम्मिलित अध्ययन क्षेत्र जनपद अयोध्या के अहरन सुवंश न्याय पंचायत के कुल 300 उत्तरदात्रियों से यह जानने का प्रयास किया गया है कि ''क्या आप मानते है कि भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा का मुख्य कारण दहेज है।'' ? के क्रम में कुल 185 (61.67 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों ने स्वीकार किया है कि हाँ भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा का मुख्य कारण दहेज है, जबकि 85 (28.33 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ ऐसा नहीं मानती है कि भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा का कारण दहेज है एवं मात्र 30 (10.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ इस प्रश्न के संदर्भ में कुछ सकीं।

अतः अध्ययन में सम्मिलित सम्पूर्ण 300 उत्तरदात्रियों में से कुल 61.67 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने माना है कि दहेज महिलाओं के प्रति हिंसा का मुख्य कारण है। भारतीय समाज में दहेज एक पारिवारिक समस्या के साथ–साथ महिलाओं की भी समस्या है। दहेज प्रथा के कारण हत्या, आत्म हत्या, विवाह–विच्छेद एवं पारिवारिक संघर्षों के साथ ही यह हिंसा का भी रूप ग्रहण कर लेता है। इसीलिए दहेज को सामाजिक बुराई के रूप में देखा जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि दहेज भारतीय महिलाओं के प्रति हिसा में सहायक कारक के रूप में है।

सारणी सं0–02

क्या आधुनिकीकरण के प्रभाव में भी उच्चशिक्षित महिलाओं के साथ हिंसक घटनाऐं बढ़ रही हैं ?

क्रम सं0	आधुनिकीकरण के प्रति विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1-	हाँ	215	71.67
2-	नहीं	45	15.00
3-	कह नहीं सकते	40	13.33
	योग	**300**	**100.00**

सारणी सं0–02 के अध्ययन में सम्मिलित अध्ययन क्षेत्र जनपद अयोध्या के अहरन सुवंश न्याय पंचायत के कुल 300 उत्तरदात्रियों से यह जानने का प्रयास किया गया है कि ''क्या आधुनिकीकरण के प्रभाव में भी उच्चशिक्षित महिलाओं के साथ हिंसक घटनाऐं बढ़ रही हैं''? के क्रम में सर्वप्रथम कुल 215 (71.67 प्रतिशत) उत्तरदात्रियों ने स्वीकार किया है कि हॉ आधुनिकीकरण के प्रभाव में भी उच्च शिक्षित महिलाओं के साथ वास्तव में हिंसक घटनाऐं बढ़ रही है, जबकि 45 (15.00 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ ऐसा नहीं मानती हैं कि आधुनिकीकरण के प्रभाव में भी उच्चशिक्षित महिलाओं के साथ हिंसक घटनाऐं बढ़ी है, एवं 40 (13.33 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ इस प्रश्न के संदर्भ में कुछ सकीं।

अतः अध्ययन में सम्मिलित सम्पूर्ण 300 उत्तरदात्रियों में से कुल 71.67 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का कथन है कि आधुनिकीकरण के प्रभाव के कारण समाज में हिंसक प्रवृत्ति बढ़ी है, संचार–साधनों की गतिशीलता ने समाज को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। बेरोजगार व्यक्ति भी अभी मोबाइल के प्रयोग से वंचित नहीं है इसलिए समाज में हिंसक प्रवृत्ति का विकास तीव्रगति से बढ़ रही है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1. आहूजा, राम : भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत पब्लिकेशन्स जयपुर, पृ0–53
2. सॉरिकवाल, अमित, महिला पुलिस : अधिकार एवं कर्तव्य, ग्लोरियस पब्लिशर्स, नई दिल्ली, पृ0–22
3. सिंह, अमिता : लिंग एंव समाज, विवेक प्रकाश दिल्ली, पृ0–234
4. कुमार हर्षवर्धन, अमर उजाला, लखनऊ 13 अप्रैल 2025 पृ0–19
5. परमार शुभ्रा ; नारीवादी सिद्धान्त और व्यवहार, ओरियण्ट ब्लैक स्वॉन नई दिल्ली, पृ0–215
6. सिंह, अमिता : लिंग एंव समाज, विवेक प्रकाश दिल्ली, पृ0–235